न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :— इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 1/2018/एलआर

प्रभुलाल पिता हंसराज ब्राह्म्ण
निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पिता नगजीराम तेली
   निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. हीरालाल पिता टेकचन्द मेनारिया
   निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 30.11.2017 प्रकरण संख्या 1/2017

उपस्थित — 1. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बंसतीलाल पोखरना — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट(केवियटर)

निर्णय   दिनांक — 12.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/07/2017 को राज.भु.राज. (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 के नाम ग्राम सुवाणिया तहसील गंगरार की नवीन आराजी नम्बर 184 रकबा 0.50 मे से रकबा 0.30 है0 का आंवटन मि0न0 198/2 दिनांक 20/06/02 को कर दिया जिस आंवटन को खारीज कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 30/11/2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा 1 से 4 मे वर्णित तथ्यो के अनुसार ग्राम सुवाणिया तहसील गंगरार की नवीन आराजी नम्बर 184 रकबा 0.50 मे से रकबा 0.30 है0 है, पर विगत 32 वर्षो पूर्व से प्रार्थी का कब्जा उपयोग, उपभोग चला

आ रहा है, जो आज तक भी मौके पर काश्त होकर फसल बो रखी है तथा कभी भी इस भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नही रहा है। वक्त आंवटन विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन, सद्भावी कृषक नही था। आंवटन हेतु प्रस्तुत आवेदन की पुश्त पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे आराजी नम्बर 187 मे 1/3 हिस्सा होना तथा आराजी पूर्व मे परिवार मे होना बताया है जिससे आंवटी भूमिहीन नही होना साबित हुआ है। आंवटन से पूर्व विवादित आराजी के रकबे पर प्रार्थी प्रभुलाल का सन् 1985 से लगातार आज तक कब्जा चला रहा है जिस बारे मे नायब तहसीलदार गंगरार द्वारा प्रार्थी का कब्जा होना मानकर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत समय–समय पर नोटिस भेजे है, जिसकी पेनाल्टी की रसीदे प्रार्थी ने जमा कराई है जिससे भी प्रार्थी का कब्जा होना प्रथम दृष्टया साबित होता है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार सत्यापित नही किया गया है तथा आंवटन सलाहकार कमेटी की सदस्य जो मोहनीदेवी सरपंच के हस्ताक्षर कर रखे है जो मोहनीदेवी स्वंय विपक्षी नम्बर 3 की पत्नि है तथा आंवटन खारीज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03/07/2017 को पेश करने से पूर्व ही विवादित आराजी को दिनांक 21/06/2017 को विपक्षी नम्बर 3 ने विपक्षी नम्बर 1 ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये स्वंय के नाम करा ली जिस बारे मे प्रार्थी द्वारा अलग से विक्रय पत्र को खारीज कराने हेतु समक्ष न्यायालय मे दावा कर रखा है। प्रार्थी द्वारा आंवटन खारीज करने का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद विपक्षी नम्बर 1 द्वारा जवाब पेश कर भूमि का विक्रय विपक्षी नम्बर 3 को कर देना बताया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्षकार बनाने का आवेदन देने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार बनाया लेकिन विपक्षी नम्बर 3 द्वारा अलग से कोई जवाब आपत्ति प्रस्तुत नही की गई जिससे भी प्रार्थी का आवेदन जवाब के अभाव मे अखंडित रहा जिससे भी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य था। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीरे आरबीजे 1995 पेज 780, 87, 1987 आरआरडी पेज 37,235,54 आरआरडी 1998 पेज 454 तथ्यो के विपरीत होने से लागू नही होती है। प्रार्थी की ओर से निम्न नजीरे पेश की गई, जिसमे आरआरटी 2005(1) पेज 634, डीएनजे 2011(3) पेज 1100, आरआरटी 2001(1) पेज 72 पेश की जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आंवटन खारीज किया जावे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30/11/2017 खारीज किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) को स्वीकार किया जाकर विपक्षी नम्बर 1 के नाम हुआ आंवटन को खारीज फरमाया जावे।

3. दौराने अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस पेश कर बताया कि मौजा सुवानिया तहसील गंगरार की नवीन आराजी नम्बर 184 रकबा 0.50 है0 मे से 0.30 है0 भूमि का आंवटन बमिसल क्रमांक 198/2002 दिनांक 20/06/2002 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कर दिया गया। उक्त आंवटन आदेश अवैधानिक एवं बिना जांच पडताल के होने से निरस्त योग्य था। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी के पैरा संख्या 1 से 4 मे वर्णित तथ्यो के अनुसार ग्राम सुवानिया मे स्थित आराजी नम्बर 184 रकबा 0.50 है0 मे से 0.30 है0 पर विगत 32 सालो से अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है जो आज तक मौके पर काश्त होकर फसल बो रखी है तथा कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नही रहा है। वक्त आंवटन विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन, सद्भावी कृषक नही था। आंवटन हेतु प्रस्तुत आवेदन की पुश्त पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे आराजी नम्बर 187 मे 1/3 हिस्सा होना तथा आराजी पूर्व मे परिवार मे होना बताया है जिससे आंवटी भूमिहीन नही होना साबित हुआ है। आंवटन से पूर्व विवादित आराजी के रकबे पर प्रार्थी प्रभुलाल का सन् 1985 से लगातार आज तक कब्जा चला रहा है जिस बारे मे नायब तहसीलदार गंगरार द्वारा प्रार्थी का कब्जा होना मानकर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत समय–समय पर नोटिस भेजे है, जिसकी पेनाल्टी की रसीदे प्रार्थी ने जमा कराई है जिससे भी प्रार्थी का कब्जा होना प्रथम दृष्टया साबित होता है। प्रार्थना पत्र नियमानुसार सत्यापित नही किया गया है तथा आंवटन सलाहकार कमेटी की सदस्य जो मोहनीदेवी सरपंच के हस्ताक्षर कर रखे है जो मोहनीदेवी स्वंय विपक्षी नम्बर 3 की पत्नि है तथा आंवटन खारीज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र दिनांक 03/07/2017 को पेश करने से पूर्व ही विवादित आराजी को दिनांक 21/06/2017 को विपक्षी नम्बर 3 ने विपक्षी नम्बर 1 ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये स्वंय के नाम करा ली जिस बारे मे प्रार्थी द्वारा अलग से विक्रय पत्र को खारीज कराने हेतु समक्ष न्यायालय मे दावा कर रखा है। प्रार्थी द्वारा आंवटन खारीज करने का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद विपक्षी नम्बर 1 द्वारा जवाब पेश कर भूमि का विक्रय विपक्षी नम्बर 3 को कर देना बताया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी पक्षकार बनाने का आवेदन देने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकार बनाया लेकिन विपक्षी नम्बर 3 द्वारा अलग से कोई जवाब आपत्ति प्रस्तुत नही की गई जिससे भी प्रार्थी का आवेदन जवाब के अभाव मे अखंडित रहा जिससे भी प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य था। रेस्पोडेन्ट की ओर से जो कानूनी नजीरे प्रस्तुत की गयी वह इस प्रकरण पर लागू नही होती है व अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय मे जो

नजीरे आरआरटी 2005(1) पेज 634, डीएनजे 2011(3) पेज 1100, आरआरटी 2001(1) पेज 72 प्रस्तुत की है उक्त नजीरो के आधार पर आंवटन आदेश निरस्तीय योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट ने अपना कब्जा होना बताया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर देना बताया तथा दोनो पक्ष कब्जा अपना–अपना होना बताते है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय किये जाने से पूर्व मौके की जांच कराने हेतु कमिश्नर नियुक्त कर जांच कराकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था, फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये निर्णय एवं आदेश पारित कर अपीलान्ट की निगरानी निरस्त कर दी व अपीलान्ट ने श्रीमान् के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर सिविल न्यायालय मे विचाराधीन वादपत्र मंगायी गयी कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 26/01/2018 को प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोडेन्ट ने किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया ऐसी स्थिति मे आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत उक्त कमिश्नर रिपोर्ट को रेकार्ड पर लिया जावे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि आंवटी प्रहलाद कब्जा प्राप्त करने की फर्द पर प्रभु के गवाह के रूप मे हस्ताक्षर है। रेस्पोडेन्ट भूमिहीन की श्रेणी मे आता है, ऐसा कोई तथ्य वकील अपीलान्ट न तो इस न्यायालय मे तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय मे सिद्ध कर पाये है। एक बार यदि आंवटित भूमि की खातेदारी प्राप्त हो जाती है तत्पश्चात् उसका आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा 1995 (2) आरबीजे (डीबी) पृष्ठ 780 की नजीर पेश की है। जहां तक आदेश 41 नियम 27 सीपीसी मे प्रार्थना पत्र के माध्यम से दस्तावेज पेश करने की बात है। ऐसी कोई कमिश्नर रिपोर्ट साक्ष्य मे पेश नही हुई जिसके कारण प्रस्तुत दस्तावेज का लाभ नही लिया जा सके। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 0.50 है0 मे से 0.30 है0 रेस्पोडेन्ट को तथा 0.10 है0 अपीलान्ट को आंवटित हुई है तथा एक ही दिन दोनो को आंवटित भूमि का कब्जा वर्ष 2002 मे दिया गया है। इतने लम्बे समय बाद अब आंवटन के विरूद्ध अपील/रिवीजन किया जाना मात्र तंग करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा यह बताकर कि वह भूमि पर ट्रेसपासर है, आंवटन निरस्त कराने की मांग करना न्यायोचित नही है। आरआरडी

1998(राजस्थान उच्च न्यायालय) पेज 445 के अनुसार ट्रेसपासर के कब्जे मे उपलब्ध राजकीय भूमि रिक्त भूमि की श्रेणी मे आते है। आरबीजे 1995 (डीबी) क्लोज 2 पेज 780 पैरा 9 के अनुसार बिना स्पष्टीकरण दिये 15 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करना स्वीकार योग्य नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही हुई है, क्योकि जब भूमि की खातेदारी आंवटी को मिल चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट को आंवटित भूमि के कब्जा पत्र पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर है। ऐसी सूरत मे यह कैसे मान लिया जावे कि रेस्पोडेन्ट को आंवटित भूमि पर अपीलान्ट बतौर अतिक्रमी काबिज है। अपीलान्ट द्वारा पन्द्रह वर्ष बाद बिना किसी आधार के आंवटन के विरूद्ध अपील किया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही अपीलान्ट यह भी सिद्ध नही कर पाये है कि आंवटी/रेस्पोडेन्ट भूमिहीन की श्रेणी मे नही आते है। फलतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) द्वारा प्रकरण संख्या 1/2017 मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ